कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश,
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ

पत्रांकःएफ0एस0डी0ए0 / खाद्य / नियुक्ति / 55 / 2021 / 1723 लखनऊ, दिनांक : 09 जून,2021

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या–114 / 02 / ई–3 / 2018–19, दिनांक 16.10.2020 एवं संख्या–180 / 2 / ई–3 / 2018–19, दिनांक 01.12.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित निम्नांकित तालिका में अंकित अभ्यर्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर शा0सं0–49 / 2015 / 1249 / अट्ठासी–15–99खा0 / 14 दिनांक 31.07.2015 द्वारा संशोधित वेतनमान बैण्ड–2, सादृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान रू0 9300–34800, सादृश्य ग्रेड पे रू0 4600 / – पर निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित जनपद में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

क्र0 सं0	नवचयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारी नाम	स्थायी पता	गृह जनपद	नियुक्ति / तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5
1	सुश्री देवयानी सिंह पुत्री श्री नन्द पाल सिंह	बी–49, चन्दर नगर, पो0–चन्दर नगर, जनपद–गाजियाबाद उ0प्र0–201011	गाजियाबाद	गौतमबुद्धनगर
2	श्री आशीष गौड़ पुत्र श्री शम्भू दयाल	1140, 1140 पुराना कैन्ट, जनपद –मथुरा उ0प्र0–281001	मथुरा	गाजियाबाद
3	श्री अभिनीत कुमार पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार	ग्राम–पड़रा लखनपुर, पो0 शीलापुर, थाना–माधौगंज, जनपद –हरदोई, उ0प्र0–241302	हरदोई	फर्रूखाबाद
4	श्री सुलभ गुप्ता पुत्र श्री हरी शंकर गुप्ता	226, बम्बी रोड न्यू राम नगर, उरई, जनपद–जालौन उ0प्र0–285001	जालौन	झाँसी
5	सुश्री नेहा चौधरी पुत्री श्री राज बहादुर सिंह	338, ओम नगर, कनकेर खेड़ा, जनपद–मेरठ उ0प्र0–250001	मेरठ	बागपत
6	श्री सूरज कुमार पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	ग्राम–खुटीपुरी जतन, पो0–पैंठगांव, जनपद–हाथरस, उ0प्र0–204213	हाथरस	अलीगढ़
7	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री वीरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव	मोहल्ला बलुहा नियर गर्ल्स इन्टर कालेज बलुहा, जनपद–बलरामपुर उ0प्र0–271201	बलरामपुर	श्रावस्ती
8	श्रीमती शशि यादव पुत्री श्री बृजेन्द्र यादव	ग्राम–नेवादा खुर्द सूरजूपुर, थाना–जैतपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर उ0प्र0–224183	अम्बेडकरनगर	गोण्डा
9	श्रीमती प्रिया त्रिपाठी पुत्री श्री गोमती प्रसाद त्रिपाठी	705, इन्दिरा नगर, सेक्टर–14, थाना–गाजीपुर, जनपद–लखनऊ उ0प्र0–226016	लखनऊ	बाराबंकी
10	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री राम पाल सिंह	97, नियर हनुमान मन्दिर, जनपद–मुजफ्फरनगर, उ0प्र0–250342	मुजफ्फरनगर	गाजियाबाद

Scanned by CamScanner

11	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव पुत्री श्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव	एल–5एल–217,सेक्टर–एल–अलीगंज, जनपद–लखनऊ उ0प्र0–226024	लखनऊ	बहराइच
12	सुश्री वाग्मिता सिंह पुत्री श्री अनन्त बहादुर सिंह	ग्राम व पोस्ट–पुरकेश्वरी, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–प्रतापगढ़, उ0प्र0–230502	प्रतापगढ़	वाराणसी
13	सुश्री सोनाली सिंह पुत्री श्री रामकृपाल सिंह	20,एम.आई.जी बर्रा–3, नियर शास्त्री चौक, थाना–बर्रा, जनपद–कानपुर नगर, उ0प्र0–208027	कानपुर नगर	उन्नाव
14	श्री आलोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री बृजेश चन्द्र गुप्ता	28, समता नगर, सेक्टर–11, इन्दिरा नगर, जनपद–लखनऊ, उ0प्र0–226016	लखनऊ	सीतापुर
15	श्री प्रशांत यादव पुत्र श्री फुल बदन यादव	ग्राम–लीलाहवा, धर्मपुर विशुनपुर, तह0–मधुबन, जनपद–मऊ, उ0प्र0–221601	मऊ	आगरा
16	सुश्री निधि रानी पुत्री श्री आजाद वीर सिंह	ग्राम–रामपुर घोरिया, अस्सा, तहसील–मवाना, जनपद–मेरठ, उ0प्र0–250401	मेरठ	गाजियाबाद
17	श्री अंकुर मिश्रा पुत्र श्री राम सुरेश मिश्रा	रामपुर बबुवान पुरे मरजानी, पो0–तिरहुत बाजार, जनपद–सुलतानपुर, उ0प्र0–227806	सुलतानपुर	गोरखपुर
18	श्री शरद पाल पुत्र श्री राजबली पाल	सी–340–5–6, जय प्रकाश नगर, नवलपुर, बसही, भोजुरवीर शिवपुर जनपद–वाराणसी, उ0प्र0–221003	वाराणसी	सोनभद्र
19	श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह	ग्राम–सेतकुआं, पो0–खरखौदा, जनपद–मेरठ, उ0प्र0–245206	मेरठ	आगरा
20	सुश्री रंजनी मौर्या पुत्री श्री श्रीराम चीज मौर्या	ग्राम–खामपार, पो0 व थाना–खामपार, तहसील–भाटपाररानी, जनपद–देवरिया उ0प्र0–274702	देवरिया	महाराजगंज
21	श्री राहुल कुमार पुत्र स्व0 राघव राम	पुरानी आबकारी सदर का मोड़, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–प्रतापगढ़, उ0प्र0–230001	प्रतापगढ़	लखनऊ
22	सुश्री अज़रा बी मोहम्मद पुत्री श्री मो0 रईस	1524, राम वाटिका कालोनी, 15 न्यू सिविल लाईन बरेली, जनपद–बरेली, उ0प्र0–243001	बरेली	रामपुर
23	श्री शहाबउद्दीन सिद्दीकी पुत्र श्री शमंस उद्दीन सिद्दीकी	ग्राम–कैथाना, फूलपुर, जनपद–प्रयागराज, उ0प्र0–212402	प्रयागराज	कौशाम्बी
24	सुश्री पूनम पुत्री स्व0 मांगे राम सिंह	ग्राम–रईसपुर, रईसपुर के पीछे ए0एल0टी0 सेन्टर, जनपद–गाजियाबाद, उ0प्र0–201002	गाजियाबाद	हापुड़
25	श्री महावीर सिंह पुत्र श्री राम अवतार सिंह	अहिंकारपुरा, पो0–बघईपुर, जनपद–इटावा, उ0प्र0–206242	इटावा	कानपुर नगर
26	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नाथूराम	1104, रामा टावर, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेन्ट, रतनलाल, नगर, थाना–गोविन्दपुर, जनपद–कानपुर नगर, उ0प्र0–208022	कानपुर नगर	औरैया

j.khan fso establishment

Scanned by CamScanner

27	श्री अमित कुमार गौतम पुत्र श्री राम नारायन	डब्ल्यू–2 276, जूही कलॉ बर्रा, थाना–बर्रा, जनपद–कानपुर नगर उ0प्र0–208027	कानपुर नगर	बुलन्दशहर
28	श्री विमल कुमार पुत्र श्री शंकर प्रसाद	शिवा पुरम कॉलोनी, नियम कन्धारी धर्मकान्त कॉटा सिविल लाइन्स, रामपुर, जनपद–रामपुर, उ0प्र0–244901	रामपुर	अलीगढ़
29	श्री किरत सैन पुत्र श्री हरबीर सिंह	ग्राम–वलीदपुर, दाऊराला, जनपद–मेरठ, उ0प्र0–250221	मेरठ	सहारनपुर
30	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरज्ञान सिंह	657, शान्ती नगर सिविल लाईन 2, थाना–कोतवाली शहर, जनपद–बिजनौर उ0प्र0–246701	बिजनौर	सहारनपुर
31	श्री भरत सिंह पुत्र श्री रामनिवास	मो0 व ग्राम–अरदाया, पो0 व थाना–अछनेरा, जनपद–आगरा, उ0प्र0–283101	आगरा	मेरठ
32	श्री सतेंद्र सिंह तोमर पुत्र श्री महराज सिंह	ग्राम–भदरौली, पंचथोक, भदरौली, जनपद–आगरा उ0प्र0–283113	आगरा	अलीगढ़
33	श्री आदित्य विक्रम पुत्र श्री दिवाकर चौधरी	3084 निराला नगर, मजरे करौदिया, जनपद–सुलतानपुर, उ0प्र0–228001	सुलतानपुर	गोरखपुर
34	सुश्री पूजा यादव पुत्री श्री श्याम सिंह यादव	राजा का बाग, स्ट्रीट नम्बर– 8ए, जनपद–मैनपुरी, उ0प्र0–205001	मैनपुरी	इटावा

2. उपरोक्त नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे। स्थायीकरण के संबंध में परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरान्त विचार किया जायेगा।

3. उपरोक्त नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त चयन सूची के अनुसार होगी तथा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

4. इनकी नियुक्ति की शर्ते "उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग (खाद्य सुरक्षा संवर्ग) (समूह 'क' 'ख' और 'ग') सेवा नियमावली, 2012", जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो तथा उन नियमों, जो उनकी श्रेणी के लोक सेवकों पर शासनादेश द्वारा लागू होते है, से नियंत्रित की जायेगी।

5. नियुक्ति के उपरान्त चयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के नियम 2.1.3. के उप नियम 1(iii) के प्राविधानानुसार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.2-8/Inst. Notification/T/ FSSAI/2013 दिनांक 20. 06.2014 द्वारा निर्धारित 60 दिवस का आधारभूत प्रवेश प्रशिक्षण एफ0एस0एस0ए0आई, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा कराया जायेगा।

6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–37(1) के प्राविधानानुसार आधारभूत प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने पर सरकारी गजट में अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी नियमों / विनियमों द्वारा प्रशासित कार्यों का निस्तारण किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

7. उक्त अस्थायी नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

8. उपरोक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्नांकित प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें, जिनकी एक–एक प्रति जिलाधिकारी द्वारा योगदान आख्या सहित आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जायेगी तथा दो प्रतियां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के जनपदीय कार्यालय में अभिहित अधिकारी की अभिरक्षा में सुरक्षित की जायेंगी।

(i) शासनादेश संख्या–4694/II-B–321–1947 दिनांक 28.04.1958 के प्रस्तर–3(a) के अनुपालन में अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्य एवं चरित्र के सम्बन्ध में निम्नांकित व्यक्तियों/संस्थान के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेगा :–

(a) अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

(b) दो राजपत्रित अधिकारी जो उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों परन्तु सगे सम्बन्धी न हों, के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र।

(ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी चिकित्सा/स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(iii) निम्न के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र/प्रमाण–पत्र :–

(क) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र।

(ख) चल–अचल सम्पत्ति का घोषणा–पत्र।

(ग) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(घ) ओथ एलीजियन्स का घोषणा–पत्र।

(ड.) खाद्य पदार्थो के निर्माण, क्रय अथवा विक्रय में कोई वित्तीय अंश या हित न होने के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।

(च) गोपनीयता का घोषणा–पत्र।

(छ) अन्य पिछड़े वर्ग में चयनित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अधिसूचना संख्या–22/16/92/2/1995, दिनांक 08.12.1995 के अनुक्रम में जारी समसंख्यक शासनादेश दिनांक 01/95 के संलग्नक के रूप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसूची–2 के अधीन क्रीमीलेयर में न होने का प्रमाण–पत्र।

(iv) यह नियुक्ति पूर्णतयः अस्थायी है तथा जाति प्रमाण–पत्रों एवं शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्रों के सक्षम अधिकारी से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर उक्त प्रमाण–पत्र जैसा भी मामला हो, का दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

9. संबंधित अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रस्तरों में उल्लिखित प्रमाण पत्रों तथा घोषणा–पत्रों सहित नियुक्ति के जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 30.07.2021 तक अवश्य उपस्थित हो जाये। यदि वे उपर्युक्त प्रमाण–पत्रों

j.khan fso establishment

Scanned by CamScanner

व घोषणा–पत्रों सहित निर्धारित तिथि तक उपस्थित होने में असमर्थ रहते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. उक्त नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

(अनीता सिंह)
आयुक्त

पत्रांकःएफ0एस0डी0ए0 / खाद्य / नियुक्ति / 55 / 2021 / 1723(1–12) लखनऊ, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलायुक्त, मेरठ / कानपुर / झाँसी / अलीगढ़ / देवीपाटन मण्डल, गोण्डा / अयोध्या / वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मिर्जापुर / गोरखपुर / मुरादाबाद, / प्रयागराज / सहारनपुर।
5. जिलाधिकारी,जनपद–गौतमबुद्धनगर / गाजियाबाद / फर्रूखाबाद / झाँसी / बागपत / अलीगढ़ / श्रावस्ती / गोण्डा / बाराबंकी / बहराइच / वाराणसी / उन्नाव / सीतापुर / आगरा / गोरखपुर / सोनभद्र / महाराजगंज / लखनऊ / रामपुर / कौशाम्बी / हापुड़ / कानपुरनगर / औरैया / बुलन्दशहर / सहारनपुर / मेरठ / इटावा को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक उनसे उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर योगदान करायें और योगदान आख्या व उक्त प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
6. वित्त नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वरिष्ठ / मुख्यकोषाधिकारी,जनपद–गौतमबुद्धनगर / गाजियाबाद / फर्रूखाबाद / झाँसी / बागपत / अलीगढ़ / श्रावस्ती / गोण्डा / बाराबंकी / बहराइच / वाराणसी / उन्नाव / सीतापुर / आगरा / गोरखपुर / सोनभद्र / महाराजगंज / लखनऊ / रामपुर / कौशाम्बी / हापुड़ / कानपुरनगर / औरैया / बुलन्दशहर / सहारनपुर / मेरठ / इटावा।
8. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उनकी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अभ्यर्थी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उनके द्वारा अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की जा सके।
9. अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–गौतमबुद्धनगर / गाजियाबाद / फर्रूखाबाद / झाँसी / बागपत / अलीगढ़ / श्रावस्ती / गोण्डा / बाराबंकी / बहराइच / वाराणसी / उन्नाव / सीतापुर / आगरा / गोरखपुर / सोनभद्र / महाराजगंज / लखनऊ / रामपुर / कौशाम्बी / हापुड़ / कानपुरनगर / औरैया / बुलन्दशहर / सहारनपुर / मेरठ / इटावा।
10. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
11. संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की सेवा पुस्तिका हेतु।
12. गार्ड बुक।

(अनीता सिंह)
आयुक्त

j.khan fso establishment

कार्यालय सहायक आयुक्त(खाद्य)II

(NIC के सामने, कलेक्ट्रेट परिसर, आगरा- 282002)

पत्रांक- एफ०एस०डी०ए०/वेतन /2023-24/1658 दिनांक:- 19/02/2024

वेतन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशान्त यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त खाद्य(II), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आगरा को इस कार्यालय द्वारा माह **नवम्बर 2023** में निम्नलिखित वेतन एवं भत्ते आहरित किये गये।

1.	वेतन	-	47,600.00
2.	महंगाई भत्ता	-	21,896.00
3.	मकान किराया भत्ता	-	5,520.00
4.	FTA	-	300.00
योग	-		75,316.00

कटौतियां :-

1.	एन०पी०एस०	-	6,950.00
2.	आयकर	-	3,000.00
3.	जी०आई०सी०	-	200.00
योग :-		-	10,150.00

शुद्ध वेतन :- - 65,166.00

19.02.24

(अमित कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त(खाद्य)II/
आहरण वितरण अधिकारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
कलेक्ट्रेट, आगरा

कार्यालय सहायक आयुक्त(खाद्य)II

(NIC के सामने, कलेक्ट्रेट परिसर, आगरा- 282002)

पत्रांक- एफ०एस०डी०ए०/वेतन /2023-24/ 1658   दिनांक:- 19/02/2024

<u>वेतन प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशान्त यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त खाद्य(II), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आगरा को इस कार्यालय द्वारा माह **दिसम्बर 2023** में निम्नलिखित वेतन एवं भत्ते आहरित किये गये।

1. वेतन	-	47,600.00
2. महंगाई भत्ता	-	21,896.00
3. मकान किराया भत्ता	-	5,520.00
4. FTA	-	300.00
योग	-	75,316.00

<u>कटौतियां :-</u>

1. एन०पी०एस०	-	6,950.00
2. आयकर	-	3,000.00
3. जी०आई०सी०	-	200.00
योग :-	-	10,150.00

शुद्ध वेतन :- - 65,166.00

19.02.24

(अमित कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त(खाद्य)II/
आहरण वितरण अधिकारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
कलेक्ट्रेट, आगरा

कार्यालय सहायक आयुक्त(खाद्य)II

(NIC के सामने, कलेक्ट्रेट परिसर, आगरा- 282002)

पत्रांक- एफ०एस०डी०ए०/वेतन /2023-24/1658 दिनांक:- 19/02/2024

<u>वेतन प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरेन्द्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त खाद्य(II), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आगरा को इस कार्यालय द्वारा माह **जनवरी 2024** में निम्नलिखित वेतन एवं भत्ते आहरित किये गये।

1.	वेतन	-	49,000.00
2.	महंगाई भत्ता	-	22,540.00
3.	मकान किराया भत्ता	-	5,520.00
4.	FTA	-	300.00
योग	-		77,360.00

<u>कटौतियां :-</u>

1.	एन०पी०एस०	-	7,154.00
2.	आयकर	-	3,000.00
3.	जी०आई०सी०	-	200.00
योग :-		-	10,354.00

शुद्ध वेतन :- - 67,006.00

19.02.24

(अमित कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त(खाद्य)II/
आहरण वितरण अधिकारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
कलेक्ट्रेट, आगरा

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,
जनपद–आगरा (उ०प्र०)

विषयः– योगदान आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र० के कार्यालय आदेश संख्या–एफ०एस०डी०ए०/खाद्य/नियुक्ति/55/2021/1723, दिनांक 05 जून, 2021 के द्वारा मेरी नियुक्ति "खाद्य सुरक्षा अधिकारी" के पद पर जनपद–आगरा में की गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में, मैं प्रशान्त यादव अपनी योगदान आख्या आज दिनांक 23.06.2021 के पूर्वान्ह में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया योगदान आख्या स्वीकृत करने की कृपा करें।

दिनांक– 23.06.2021

संलग्नकः–

1. अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।
2. दो राजपत्रित अधिकारी जो उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों परन्तु सगे सम्बन्धी न हों, के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र।
3. आरक्षित श्रेणी के अभ्यार्थियों से जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र।
4. चल–अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।
6. ओथ एलीजियन्स का घोषणा–पत्र।
7. खाद्य पदार्थों के निर्माण, क्रय अथवा विक्रय में कोई वित्तीय अंश या हित न होने के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र।
8. गोपनीयता का घोषणा पत्र।

3028/B

योगदान स्वीकृत

23/6/2021

23/06/21

श्री प्रशान्त यादव
पुत्र श्री पी०बी० यादव
गाँव–धर्मपुर, विशुनपुर तहसील–मधुवन
जिला–मऊ उ०प्र०

DM जिलाधिकारी,
आगरा